Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th October, 2017

No. 32-HLA of 2017/87/20752.— The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 32- HLA of 2017

THE HARYANA MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2017

A

Bill

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called The Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2017.

Amendment of section 70 of Haryana Act 24 of 1973.

2. For clause (viii) of sub-section (1) of section 70 of the Haryana Municipal Act, 1973, the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) a tax on the consumption of electricity at the rate of two percent of the electricity bill consumed by any person within the limits of the municipality;".

Amendment of section 203 of Haryana Act 24 of 1973.

3. In sub-section (1) of section 203 of the principal Act,-

(i) in clause (i), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where an individual or a company applies for preparation/approval of town planning scheme over its own land, then the un-built area shall not be declared. The committee shall pass a resolution for approval of town planning scheme within sixty days from the date such proposal is put up for its consideration for the first time, otherwise the Deputy Commissioner shall forward the proposal of the town planning scheme directly to the State Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. In the year 2000, Government *vide* Notification No. 9/26/2000-5c1, dated 16.5.2000 made a provision to levy Municipal Tax on consumption of energy at a rate not exceeding 5 paise for every unit of electricity consumed by an person within the Municipal area. The electricity charges has been increased from time-to-time but Municipal Tax has not been increased since 2000. Keeping in view this increase in electricity charges, a need of amendment in Act is required to charge the tax on the consumption of electricity @ 2% of the every bill amount of electricity consumed by any person within the limits of a municipality in the State of Haryana, shall be imposed by each Municipal Committee/ Municipal Council within a period of 15 day. This tax shall be collected by the Uttar Haryana Bijili Vitran Nigam and Dhakshin Haryana Bijili Vitran Nigam and paid in the same manner, as if it were electricity duty payable to the State Government under the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958 and the same shall be remitted to the concerned Committee/Council.

Keeping in view the financial position of Municipalities, it is required to charge the tax on the consumption of electricity @ 2% of the every bill amount of electricity consumed by any person within the limits of a municipality in the State of Haryana, It is, therefore, proposed that in clause (viii) of sub-section (1) of section 70 of the Haryana Municipal Act, 1973 the following shall be substituted:-

"(e) a tax on consumption of electricity at a rate of two percent of the electricity bill consumed by any person within the municipal area."

2. The Urban Local Bodies Department grant approval of Town Planning Schemes for the un-built areas declared within the limits of Municipal Councils/Committees under Sub-section 2(24) of the Haryana Municipal Act, 1973. The un-built area is declared by passing a resolution by the elected house or notified by the Government as such. The declaration of un-built areas is one of the procedural steps given in the Act of 1973 for preparation of Town Planning Schemes. It is a long and cumbersome procedure of approval of Town Planning Schemes. It is felt that the declaration of un-built area is required in the cases when the municipalities *suo motto* decide to prepare a Town Planning Scheme over any vacant patches of land falling within their jurisdiction. However, the declaration of un-built area is not required in the cases when the land owner/company itself apply for approval of a Town Planning Scheme over its own land. In that case, the Town Planning Scheme may be prepared without declaration of the said land as un-built area. An amendment is proposed in the Haryana Municipal Act, 1973, in this regard. A provision is also proposed to be made that in case the elected house does not pass a resolution within 60 days of receipt of such requisition then the Deputy Commissioner, may forward the case for approval of the Government. Accordingly, the proviso is proposed to be inserted in Sub-section (1) of Section 203 of the Haryana Municipal Act, 1973.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 18th October, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2017 का विधेयक संख्या.–32 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 70 का संशोधन।

''(viii) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के बिल का दो प्रतिशत की दर से बिजली के उपभोग पर कर;''।

3. मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (1) में,– 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203 का संशोधन।

(i) खण्ड (झ) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (झ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहां कोई व्यक्ति या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने/अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। निगम प्रथम बार के लिए इसके विचारण हेतु तिथि जिसको ऐसा प्रस्ताव पेश करता है से साठ दिन के भीतर नगर योजना स्कीम के अनुमोदन के लिए संकल्प पारित करेगा, अन्यथा उपायुक्त राज्य सरकार को सीधे तौर पर नगर योजना स्कीम का प्रस्ताव भेजेगा।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. वर्ष 2000 में सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 9/26/2000–5क1, दिनांक 16.5.2000 द्वारा प्रावधान किया गया था कि हरियाणा राज्य में नगर पालिका/नगर परिषद की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त बिजली की प्रत्येक यूनिट पर पांच पैसे की दर से पालिका शुल्क लगाया जायेगा। समय–समय पर बिजली शुल्क बढ़ गई परन्तु वर्ष 2000 से पालिका शुल्क नहीं बढ़ाया गया । इस बढ़ते हुये बिजली शुल्क के मध्यनजर, अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है कि हरियाणा राज्य की नगर पालिका/नगर परिषद सीमा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा बिजली की खपत के हर बिल राशि की 2 प्रतिशत की दर से पालिका शुल्क, प्रत्येक नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा 15 दिनों की अवधि में लगाया जायेगा। यह कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा एकत्रित किया जायेगा तथा उसी तरह भुगतान किया जायेगा जैसे कि यह पंजाब बिजली (डियुटी) अधिनियम, 1958 के तहत राज्य सरकार को बिजली डियूटी देय हो तथा यह सम्बन्धित नगर पालिका/नगर परिषद को प्रेषित किया जायेगा ।

नगर पालिकाओं/नगर परिषदों की कमजोर वित्तिय स्थिति को मध्यनजर रखते हुये, हरियाणा राज्य की नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के बिल का दो प्रतिशत की दर से ऊर्जा के उपभोग पर कर लगाने की आवश्यकता है । यह प्रस्तावित है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) में निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये :–

''(ड) नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के बिल का दो प्रतिशत की दर से बिजली के उपभोग पर कर।''

2. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, नगरपालिका अधिनियम, 1973 की उपधारा 2 (24) के तहत नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर घोषित गैरनिर्मित क्षेत्रों के लिए नगर नियोजन योजनाओं को मंजूरी दे रहा है। निगम हाउस द्वारा अनिर्मित क्षेत्र को एक प्रस्ताव पारित करके या सरकार द्वारा अधिसूचित करके घोषित किया जाता है। नगर नियोजन योजनाओं की तैयारी के लिए 1973 के अधिनियम में दिये गये अनौपचारिक क्षेत्रों की घोषणा प्रक्रियागत कदमों में से एक है। यह नगर नियोजन योजनाओं के अनुमोदन की एक लम्बी और बोझिल प्रक्रिया है। यह महसूस किया जाता है कि गैरनिर्मित क्षेत्रों की घोषणा उन मामलों में चाहिये होती है जब नगरपालिकाएं स्वयं से अपने अधिकार में पड़ने वाली खाली भूमि पर नगर नियोजन योजना तैयार करती है। हालांकि उन मामलों में गैर निर्मित क्षेत्रों की घोषणा आवश्यक नहीं है जब भूमि मालिक/कम्पनी स्वयं नगर योजना हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करती है। इन मामलों में नगर नियोजन योजनाएं, गैर निर्मित क्षेत्रों की घोषणा के बिना भी तैयार की जा सकती है। इस सम्बन्घ में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। एक प्रावधान भी प्रस्तावित किया जाता है कि यदि इस तरह की मांग के प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर निर्वाचित सदन यदि प्रस्ताव पारित नहीं करता है तो उपायुक्त, सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए मामले को अग्रेषित कर सकते हैं। तदानुसार हरियाणा पालिका अधिनियम, 1973 के धारा 203 की उपधारा की (1) में प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 18 अक्तूबर, 2017.

आर. के. नांदल,
सचिव।